उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़।

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या–94 / 2024

विकास गोप बनाम राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
18/10/25		

–:: आदेश ::–

इस वाद की कार्यवाही विकास गोप, पिता–भुजन गोप निवास ग्राम–पुराना टोला, बलकुदरा, थाना–बासल, जिला–रामगढ़ द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में दायर राज्यसात वाद संख्या–48 / 2020 में दिनांक–09.09.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–52(A) के तहत अपील दायर किया गया। वाद सुनवाई हेतु अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गई।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी हाईवा ट्रक संख्या–JH-02AX-9654 का पंजीकृत स्वामी है, रामगढ़ थाना काण्ड संख्या–22 / 2020 दिनांक–21.01.2020 के संबंध में उक्त ट्रक को जब्त किया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनांक–21.01.2020 को प्रातः 03:30 बजे मध्य रात्रि में गोपनीय सूचना मिली की कोयला तस्कर सोहेल अंसारी अपने हाईवा ट्रक संख्या–JH-02AX-9654 के माध्यम से अधिसूचित वन क्षेत्रों से अवैध रूप से खनन कर कोयला चोरी कर उसे राँची की ओर ले जाया जा रहा है, उक्त सूचना मिलने पर मुखबिर अन्य पुलिस बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने देखा कि हाईवा ट्रक संख्या–JH-02AX-9654 कुजू की ओर से आ रहा है और पुलिस पार्टी को देखकर उक्त ट्रक का चालक अपने ट्रक को तेज गति से भगाकर घाटी की ओर भागने लगा और मायाटुंगरी रोड के पास चालक वाहन को पार्क करने के बाद जंगल क्षेत्र की ओर भाग गया। तलाशी लेने पर ट्रक में 10 टन स्टीम कोयला बरामद किया गया और इसे गवाहों की उपस्थिति में जब्त कर लिया गया। F.I.R दर्ज होने के बाद पुलिस ने वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को कोयला और ट्रक जब्त करने की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की गई तदनुसार प्राधिकृत अधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा राज्यसात के तहत वाद संख्या–48 / 2020 की कार्रवाई प्रारंभ की गई एवं अपीलार्थी को एक नोटिस दिया गया। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ से नोटिस प्राप्त होने पर अपीलार्थी ने जब्त कोयले के सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और ट्रक के स्वामित्व के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के बाद वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ ने पारित आदेश दिनांक–09.09.2024 के तहत ट्रक सहित कोयले को जब्त करने का आदेश

Scanned with OKEN Scanner

पारित किया गया। प्राधिकृत अधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा राज्यसात वाद संख्या–48/2020 द्वारा पारित दिनांक–09.09.2024 का आक्षेपित आदेश स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण है, और स्वाभाविक रूप से विकृत है। आक्षेपित निर्णय और आदेश न्याय के सभी सिद्धांतों के विरुद्ध है और स्वाभाविक रूप से अधिकार क्षेत्र से बाहर है। प्राधिकृत अधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा पारित दिनांक–09.09.2024 का आक्षेपित आदेश निर्णय पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण और अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि अपीलार्थी ने प्राथमिकी में आरोपित कोई वन अपराध नहीं किया है। ट्रक में लदा कोयला मेसर्स बीकेबी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, झारखण्ड कोलियरी से 20 लाख रुपये के भुगतान पर लोड करके बोंगाईगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट, एन०टी०पी०सी०एक्स० लिमिटेड, सलाकाटी ले जाया जा रहा था। 62,143.34 रुपये का चालान ई–वे बिल, हजारीबाग क्षेत्र मेसर्स सी०सी०एल० झारखण्ड ओ०सी०पी द्वारा बोंगाईगांव थर्मल पावर एन०टी०पी०सी०एक्स० लिमिटेड, परियोजना सलाकाटी के पक्ष में जारी किया गया है। कोयले से लदे ट्रक की जब्ती के समय ट्रक के चालक द्वारा उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, लेकिन छापा मारने वाले दल के सदस्यों ने इसे अनदेखी की और जब्त ट्रक के चालक क्लीनर और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जबकि सच्चाई यह है कि कोयले का परिवहन सी०सी०एल० हजारीबाग एरिया, मेसर्स सी०सी०एल० झारखण्ड ओ०सी०पी० द्वारा जारी वैध दस्तावेजों के तहत किया जा रहा था। इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ ने मनमाने तरीके से मामले का फैसला किया है, मामले की योग्यता पर विचार किए बिना कोयले से लदे ट्रक को जब्त कर लिया है और अपीलार्थी के प्राधिकृत अधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के समक्ष उपस्थित न होने के कारण कोयले सहित वाहन को जब्त कर लिया है, जो न केवल अवैध है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के भी विरुद्ध है। प्राधिकृत अधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ ने अपने आदेश दिनांक–09.09.2024 को न्यायालय ने अनुमान के आधार पर निष्कर्ष दिया है कि जब्त ट्रक में लदा 25 टन स्टीम कोयला वन क्षेत्र से अवैध रूप से खनन किया हुआ प्रतीत होता है। आदेश पारित करने से पहले यह पुष्टि नहीं की गई थी कि किस वन क्षेत्र से कोयले का अवैध खनन किया गया था। अपीलार्थी और अन्य आरोपियों को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय ने जमानत दे दी और यह भी पाया गया कि अपीलार्थी और अन्य के विरुद्ध कोई वन अपराध नहीं बनता। जब्ती प्राधिकारी अपीलार्थी के विरुद्ध मामला साबित करने में विफल रहा और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किए बिना ही अपीलार्थी के वाहन को जब्त कर लिया। अपीलार्थी ट्रक को बीकेबी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने बंगाईगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित अपने गंतव्य तक कोयले के परिवहन के लिए किराए पर लिया था, और ट्रक का चालक वाहन चला रहा था और अपीलार्थी को कोयले के परिवहन के बारे में

Scanned with OKEN Scanner

कोई जानकारी नहीं है। अपीलार्थी को जब्त किए गए कोयले से कोई सरोकार नहीं है और वह कोयले पर दावा भी नहीं कर रहा है।

उक्त के आलोक में अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत करने व निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा अपने आदेश फलक में अंकित किया गया है कि वादी के स्वयं बयान के आधार पर रामगढ़ थाना काण्ड संख्या–22 / 2020, दिनांक–21.01.2020 धारा–414 / 34 भारतीय दण्ड विधान–30(ii) कोल माईन्स एक्ट एवं 33 भारतीय वन अधिनियम–1927 के तहत दर्ज किया गया। उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के ज्ञापांक–533 / अप०शा०, दिनांक–17.02.2020 द्वारा उक्त घटना मे जप्त हाईवा ट्रक तथा उस पर लदे कोयला के संदर्भ में राज्यसात की कार्रवाई प्रारंभ की गई, जिसका वाद संख्या–48 / 2020 है तथा इसकी सूचना मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रामगढ़ को इस कार्यालय के पत्रांक–110(रा०), दिनांक–19.03.2020 द्वारा दी गई। परिवादी द्वारा E-bay Bill भी जमा नहीं किया गया है, जो उनके द्वारा किए जा रहे कोयले के अवैध खनन के उपरांत परिवहन का समर्थन करते है। विषयगत वाद में जप्त हाईवा ट्रक संख्या–JH-02AX-9654 एवं उस पर लदा करीब 10 टन कच्चा कोयला को भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–52 (3) के तहत राज्यसात किया जाता है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–69 के अनुसार यदि प्रतिवादी उक्त जप्त वन पदार्थ पर अपना दावा प्रमाणित करने में असफल होता है तो वह वन पदार्थ सरकार की सम्पति मानी जाएगी। प्रतिवादी द्वारा पुलिस बल के समक्ष कागजात प्रस्तुत नहीं करना तथा दावा हेतु उपस्थित नहीं होना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि प्रतिवादी द्वारा रामगढ़ अधिसूचित वन क्षेत्र से अवैध खनन कर हाईवा ट्रक पर लोड कर अवैध परिवहन का प्रयास किया जा रहा था, जिसे पुलिस बल पकड लिया गया। प्रस्तुत वाद में कोयले का खनन स्थल रामगढ़ वन क्षेत्र दिखाया गया है, जो कि एक अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि है। अधिसूचित एवं सीमांकित वन क्षेत्र से अवैध उत्खनन कर परिवहन करना भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–33 का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है एवं दण्डनीय अपराध है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि–सम्मत प्रतीत होता है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता, निम्न न्यायालय का आदेश एवं सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुनने एवं संलग्न कागजातों एवं लिखित अभिकथन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे यह प्रमाणित हो सके कि वाहन पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग–33 पर मायाटुंगरी रोड के पास चालक वाहन को पार्क करने के बाद जंगल क्षेत्र की ओर क्यों भाग गया। साथ ही अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष कोयला के क्रम संबंध में बोंगाईगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट

Scanned with OKEN Scanner

एन०टी०पी०सी०एक्स० लिमिटेड, सलाकाटी का invoice प्रस्तुत किया जा रहा है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा समय दिए जाने के बाद भी E-bay Bill प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे अपीलार्थी का दावा तथ्यहीन व न्यायालय को गुमराह किया जाना प्रतीत होता है।

वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय के आदेश, विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन का अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा विधि–सम्मत आदेश पारित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी के अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। प्रभावी पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को भेंजे।

इसी आदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
रामगढ़।

उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by Faiz Aq Ahmed Mumtaz
Date: 2025.11.04 14:25:35 +05:30
Location: 192.168.0.109

Scanned with OKEN Scanner